आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Welfare, Goa

Prashikshan Yatra for SC/Dhangar Gavli Community

गोवा सरकार उन मान्यताप्राप्त स्कूलों को आर्थिक मदद देती है जो अनुसूचित जाति और धनगर गवली समुदाय के विद्यार्थियों को अध्ययन यात्रा या सैर पर ले जाते हैं।

क्या मिल सकता है

संस्था को अध्ययन यात्रा के लिए 1.00 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। इसमें 40 विद्यार्थियों और दो शिक्षकों का असली यात्रा खर्च (रेल के सेकंड क्लास स्लीपर, नॉन एसी, या बस से), स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों का प्रवेश शुल्क, और कम से कम 6 दिन के ठहरने और खाने का खर्च आता है। यात्रा छह दिन या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। बाकी खर्च विद्यार्थी या संस्था को उठाना पड़ता है।

किसके लिए है

गोवा बोर्ड या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा के स्कूल, जिनमें कक्षा VIII से XII में अनुसूचित जाति या धनगर गवली समुदाय के विद्यार्थी पढ़ते हैं। आवेदन संस्था करती है, विद्यार्थी अलग से नहीं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक गोवा की ऐसी शैक्षणिक संस्था हो जिसे गोवा बोर्ड या सीबीएसई से मान्यता मिली हो।
- संस्था में अनुसूचित जाति या धनगर गवली समुदाय के विद्यार्थी पढ़ते हों।
- योजना केवल कक्षा VIII से XII के विद्यार्थियों के लिए है।
- यात्रा छह दिन या उससे ज़्यादा की हो और उसमें अधिकतम 40 विद्यार्थी और दो शिक्षक जाएँ।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- संस्था की सिफ़ारिश
- आधार कार्ड

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfare.goa.gov.in/prashikshan-yatra-for-sc-dhangar-gavli-community/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-prashikshan-yatra-sc-dhangar/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।